न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–217/2017

अनवान

1–श्री सुरेश पुत्र श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 10 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवास, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

2– सुश्री टीना पुत्री श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 08 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवास, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

3– श्री चेतन पुत्र श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 10 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवास, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

–– वादी।

बनाम

1–श्री गेहरूलाल पुत्र श्री भोजा गुर्जर उर्म 32 वर्ष निवासी अलगवास, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

2–श्रीमति नैनी पत्नि श्री भोजा गुर्जर उर्म 60 वर्ष निवासी अलगवास, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण।

वादपत्र बावत् स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 राज0टि0एक्ट 1955

उपस्थितः–

1–वादीगण की ओर से – श्यामलाल बेद

2– प्रतिवादी की ओर से– एकपक्षिय कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः 02.05.2018

मामले का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि सुरेश, सुश्री टीना एवं चेतन नाबालिगों की और से नाबालिगों की नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू पत्नि गेहरू लाल गुर्जर निवासी अलगवास तहसील करेडा के द्वारा नाबालिगो के हितो के हितार्थ धारा 188 राज0 टि0 एक्ट 1955 के तेहत् दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अलगवास तह0 करेडा की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 44 प्रतिवादीगण का अन्य सहकाश्तकारो के साथ 1/4 हिस्से की आराजियात है जिसके संयुक्त खातेदार है खाता संख्या 45 में दर्ज आराजियात में प्रतिवादीगण का अन्य काश्तकारो के साथ 3/4 हिस्सा की आराजियात है, खाता संख्या 46 में दर्ज आराजी नम्बर 1716/1 रकवा 5.00 बीघा प्रतिवादीगण के खातेदारी हक की आराजी है, खाता संख्या 47 में दर्ज आराजियात में प्रतिवादीगण का अन्य काश्तकारो के साथ 1/2 आधा हिस्सा की आराजियात है, खाता संख्या 48 में दर्ज आराजियात में प्रतिवादीगण का अन्य सहकाश्तकारो के साथ 1/8 आंठवा हिस्से की आराजियात है खाता संख्या 49 में दर्ज आराजी नम्बर 1698/40 रकवा 5.00 बीघा प्रतिवादीगण के खातेदारी हक की आराजियात है, खाता संख्या 50 में दर्ज आराजियात में प्रतिवादीगण का अन्य सहकाश्तकारो के साथ 1/4 चौथाई हिस्से की आराजियात है, खाता संख्या 51 में दर्ज आराजियात प्रतिवादीगण का अन्य सहकाश्तकारों के साथ 1/4 चौथाई हिस्से की आराजियात है। उपरोक्त आराजियों का विवरण वादपत्र में पेरा सख्या 1 में दर्ज है जोकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 गेहरूलाल के जाइन्दा पुत्र होने से जन्म से विरासतोप हक अधिकार है। स्व0 भोजा गुर्जर की गृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादीगण गेहरूलाल पुत्र होने से एवं प्रतिवादी नैनी पत्नि होने विरासतीय अधिकार से खाता रद्दोबदल हुआ। वादीगण तीनों नाबालिग है जिनकी माता हीरू देवी जो प्रतिवादी गेहरूलाल की विवाहिता पत्नि है इस प्रकार प्रतिवादीया नैनी वादीगण की दादी मां है और तीनो नाबालिग अपनी नैसर्गिक माता श्रीमति हीरूदेवी के संरक्षण पलित हो रहे है। प्रतिवादी गेहरूलाल ने हीरू देवी के साथ हिन्दु शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया। जिससे वादीगण तीनो नाबालिग संतोनो का जन्म हुआ है इस तरह वादीगण की नैसर्गिक माता श्रीमति हीरू एवं प्रतिवादी गेहरूलाल की विवाहिता पत्नि के जीवित होते हुए बिना तलाक दिये अन्य कमला पुत्री नारायण गुर्जर निवासी करणगढ क साथ विवाह करके उसे अपनी पत्नि बनाकर उसके साथ प्रतिवादी गेहरूलाल ने अपने आवसीय मकान में रख रखा है आर वादीगण जो नाबालिग है उनके भरण पोषण के दायित्वो से विमुख होकर बिना किसी पारिवारिक जरूरियात के अपनी दुसरी पत्नि कमला के प्रभाव में आकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात को अन्य व्यक्तियों को अंतरण कर देना चाहता है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। न प्रतिवादीगण की वादग्रस्त आराजियात स्वंय अर्जित ही है इसलिये वादीगण जो नाबालिग है और इनका उक्त आराजियात में जन्म से अधिकार है उससे वादीगण हमेशा के लिये वंचित हो जावें इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजियात को अंतरण करने से प्रतिबंधित किया जावे। वाद कारण वादपत्र के पेरा संख्या 4 में दर्ज किया गया है वादीगण का वाद स्वीकार कर निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को कोई हेतुक रखने हेतु और अपना पक्ष रखने हेतु सम्मन से तलब किया गया । सम्मन तामिल हो जाने पर उनके अधिवक्ता द्वारा इस मामले में उपस्थित होकर जवाबदेही हेतु कई अवसर प्रदान किये गये। अन्तोगत्वा उनकी और से प्रतिवादीगण न तो स्वयं उपस्थित हुये और न उनकी और से अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस कारण उने विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस कारण आदेशिका की पालना में वादीगण की और से एकपक्षीय साक्ष्य में वादीगण की माता श्रीमति हीरू का शपथपत्र प्रस्तुत हुआ शपथपत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 44 से 51 के खातो की पटवारी द्वारा जारी सत्यप्रतियां प्रस्तुत की। वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त आराजियात पुश्तेनी होने का जिक करते हुए न्यायालय का ध्यान तमाम राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 44 से 51 का अवलोकन करने पर प्रतिवादीगण का नाम स्व0 भोजा की विरासत से रद्दोबदल होना प्रतीत होता है जो कि पुश्तेनी होना प्रमाणित होता है इसलिये वादीगण जो नाबालिग है उनका धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण का उक्त वादगस्त आराजियात में जन्म से अंश होने से उनके हक व अधिकारो की रक्षार्थ धारा 188 राज0 टि0 एक्ट क तहत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादग्रस्त आराजियात का अंतरण न होने से प्रतिबंधित किया जावे। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं वादीगण की माता जो कि प्रतिवादी गेहरू लाल की विवाहिता पत्नि को भी सुना तथा मौजा अलगवास जो पंचायत भभाणा के पंचायत क्षैत्र के सरपंच को भी सुना जिन्होने हीरू विवाहिता पत्नि होना एवं वादीगण गेहरूलाल के जाईन्दा की ताइद की। नाबालिग बच्चों के अधिकार एवं हको संरक्षित किया जाना न्याय के दृष्टिकोण नितांत आवश्यक रूप से स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात को अंतरण न करने से प्रतिबंधित किया जाना विधि सगंत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। अतएंव

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा अलगवास की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 44 से 51 में वर्णित प्रतिवादीगण को अपने हक व हिस्से की आराजियात को अंतरित न करने एंव खुर्द बुर्द न करने से स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है।तदनुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात की एक प्रति डिक्री पर्चा का आवश्यक भाग होगा। पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करे तदनुसार डिक्री पर्चा कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मजमे आम केम्प भभाणा में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर भीनमाल

डक्री

Scanned by CamScanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–217 / 2017

अनवान

1–श्री सुरेश पुत्र श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 10 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवारा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

2– सुश्री टीना पुत्री श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 08 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवारा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

3– श्री चेतन पुत्र श्री गेहरूलाल गुर्जर, आयु 10 वर्ष अवयस्क, जरिये नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमति हीरू देवी पत्नि गेहरूलाल गुर्जर, निवासी अलगवारा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

— वादी।

बनाम

1–श्री गेहरूलाल पुत्र श्री भोजा गुर्जर उर्म 32 वर्ष निवासी अलगवास, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

2–श्रीमति नैनी पत्नि श्री भोजा गुर्जर उर्म 60 वर्ष निवासी अलगवास, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

—–प्रतिवादीगण।

वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 राज0टि0एक्ट 1955

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0ए0 1955 प्र0सं0 217 / 2017 रा.वाद निर्णय दिनांक 02.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई डिजरी वकील वादी श्री श्यामलाल वैद्य मिनजानिब मुदद्ई मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा अलगवारा के राजस्व ग्राम अलगवारा के वाद स्वीकार कर मौजा अलगवास की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 44 से 51 में वर्णित प्रतिवादीगण को अपने हक व हिस्से की आराजियात को अंतरित न करने एंव खुर्द बुर्द न करने से स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है तदनुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात की एक प्रति डिक्री पर्चा का आवश्यक भाग होगा। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 02.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

Scanned by CamScanner